कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–द्वितीय

क्रमांक : स्था0/09/2022/6082 दिनांक : 16/12/2023

–:: आदेश ::–

श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत, शेरिस्तेदार/रीडर ग्रेड–II/कार्यालय सहायक, जो वर्तमान में इस न्यायक्षेत्र के अधीनस्थ न्यायालय– अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, किराया अधिकरण, जयपुर महानगर–द्वितीय में पदस्थापित है, जो राजस्थान जिला न्यायालय लिपिक वर्गीय स्थापना नियम, 1986 (यथासंशोधित) के तहत शेरिस्तेदार/रीडर ग्रेड–I के पद के लिये विहित अर्हता रखते है, को उक्त नियमों में दिये गये प्रावधानों के अनुसार वरीयता–सह्–योग्यता के आधार पर एवं इस कार्यालय द्वारा गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा रिपोर्ट के आधार पर **रीडर/शेरिस्तेदार ग्रेड–II/कार्यालय सहायक के पद पर पदोन्नति दिनांक 01.01.2018 मानी जावें व रीडर/शेरिस्तेदार ग्रेड–I के पद पर दिनांक 13.05.2022 से** राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के तहत पे लेवल एल–11 (पूर्व वेतनमान PB-2 9300-34800 में ग्रेड पे–4200/–) के अन्तर्गत नियमानुसार देय वेतन–भत्तों पर एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है।

श्री शेखावत की उपरोक्त पदोन्नति के तहत **संशोधित वरिष्ठता** इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 3340 दिनांकित 28.07.2023 के द्वारा जारी शेरिस्तेदार/रीडर ग्रेड–I की स्थाई वरीयता सूची में क्रम सं. 31 पर उल्लेखित कर्मचारी श्री रामलाल मीणा एवं क्रम सं. 32 पर उल्लेखित कर्मचारी श्री रामेश्वर लाल के मध्य निर्धारित की जाती है।

नोट :–

1. यदि श्री **शेखावत** का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उन्हें बिना किसी नोटिस के मूल पद पर प्रत्यावर्तित (Revert) कर दिया जावेगा।
2. कुछ कर्मचारीगण द्वारा पूर्व पदोन्नतियों को लेकर मा0 रा0 उच्च न्यायालय, पीठ, जयपुर में रिट याचिकाएं दायर की है, जिनके निर्णयाधीन उक्त पदोन्नति आदेश प्रभावित रहेंगें।
3. श्री शेखावत को उपरोक्त पदोन्नति से संबंधित समस्त वित्तीय लाभ उक्त पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की दिनांक से देय होंगे।
4. उपरोक्त आदेश का इन्द्राज संबंधित कर्मचारी की सेवा–पुस्तिका में किया जावे।
5. उक्त कर्मचारी के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जावेंगे।

Sd/-
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर–द्वितीय

क्रमांक : स्था0/09/2022/6083 दिनांक : 16/12/2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. प्रभारी अधिकारी (लेखा शाखा), जिला न्यायालय, जयपुर महानगर–द्वितीय।
02. श्रीमान् कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर
03. न्यायालय अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, किराया अधिकरण, जयपुर महानगर–II
04. संबंधित कर्मचारी श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत।
05. सिस्टम ऑफिसर को न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
06. निजी पत्रावली
07. आदेश पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

16.12.23
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर–द्वितीय